

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

: आदेश :

संख्या-09/पद-05-02/2007(खण्ड), सा0प्र0...3337...पटना-15, दिनांक-03-03/2020

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित कर्मियों को दिनांक-09.03.2020 से 12.03.2020 तक होली के अवकाश में मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्य व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय में निम्न विवरणी के अनुसार प्रतिनियुक्ति किया जाता है :-

क्र0	नाम	पदनाम	विभाग/कार्यालय का नाम
1.	श्री मुनेश्वर चौधरी	प्रधान आप्त सचिव	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
2.	श्री नेशात अहमद	प्रधान आप्त सचिव	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना
3.	श्री मो उमैर अहमद	आप्त सचिव	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
4.	श्री नागेन्द्र मिश्रा	आप्त सचिव	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना
5.	श्री भीमसेन प्रसाद	आप्त सचिव	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना
6.	श्री मो0 फिरोज आलम	आप्त सचिव	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
7.	श्री पंकज कुमार	आप्त सचिव	कृषि विभाग, बिहार, पटना
8.	श्री हरिशंकर कुमार	आप्त सचिव	गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना
9.	श्री मो0 इरफान अहमद	निजी सहायक	बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना
10.	श्री हरिनंदन चौधरी	आशुलिपिक	वित्त विभाग, बिहार, पटना
11.	श्री मो0 सोहैल	आशुलिपिक	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
12.	श्री नील कमल	आशुलिपिक	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना

2. उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति कर्मी दिनांक- 04.03.2020 तक निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त कर्मियों को वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 10281, दिनांक- 27.09.1973 की कंडिका-02 में निहित प्रावधान के आलोक में क्षतिपूरक छुट्टी का लाभ अनुमान्य होगा।

  
(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-09/पद-05-02/2007(खण्ड), सा0प्र0...3337... पटना-15, दिनांक-03-03/2020

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ सामान्य प्रशासन विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ श्रम संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ कृषि विभाग/ गन्ना उद्योग विभाग/ वित्त विभाग/ खान एवं भूतत्व विभाग बिहार, पटना/ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।